इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक : 12/प्र0अ0(त0स0–2)/जोन–1/प्रस्ता0/2016–17 दिनांक 23/06/2017

अनुमति–पत्र

यह अनुमति उ0प्र0 नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अर्न्तगत दी जाती है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर प्रस्तावित व्यवसायिक/होटल भवन मानचित्र स्वीकृत किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरूद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

श्री राजेश कुमार गुप्ता, अधिकृत हस्ताक्षरी, सांईधाम पद्म टावर द्वारा नजूल फ्री होल्ड भूखण्ड संख्या–62/1 (पार्ट) सिविल स्टेशन (3ए ओल्ड नया 15/11 एम0जी0 मार्ग) इलाहाबाद जोन संख्या (1) के अर्न्तगत दाखिल प्रस्तावित व्यवसायिक/होटल भवन मानचित्र की स्वीकृति/निर्गमन उपाध्यक्ष महोदय के अनुमोदनादेश दिनांक 19–05–2017 के द्वारा निम्नांकित प्रतिबन्धो के अधीन प्रदान की जाती है :–

1. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए (1) के प्राविधानो के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही उपभोग/अधिभोग किया जायेगा, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 मे उपविधि संख्या–2.1.8 एवं 3.1.8 मे निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
2. यह स्वीकृति अनन्तिम (Provisional) स्वीकृति के रूप मे होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्ते पूर्ण करने के पश्चात्, निर्गत किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण–पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वास्तविक उपयोग मे लाया जा सकेगा।
3. स्थल पर 4X3 फिट का एक बोर्ड लगाकर प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र सम्बन्धी विवरण अंकित करना अनिवार्य होगा, जिसमें आर्किटेक्ट/इन्जीनियर के फर्म का नाम भी अंकित हो।
4. स्थल पर 06 अदद वृक्ष लगाने होंगे तथा वृक्षो को हरा–भरा रखने का दायित्व आवेदक का होगा।
5. रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली मानक के अनुसार पूर्ण कराकर भू–गर्भ जल बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा, तत्पश्चात् ही पूर्णता प्रमाण–पत्र निर्गत किया जायेगा।
6. सोलर वाटर हीटींग संयत्र की लगाया जाना आवश्यक होगा।
7. भवन की संरचना एवं सुरक्षा का दायित्व आवेदक का होगा एवं निर्माण कार्य भूकम्परोधी तकनीकी मानको पर ही किया जाय।
8. बेसमेन्ट में प्रकाश एवं संवातन हेतु यॉन्त्रिक व्यवस्था करनी होगी।
9. बेसमेन्ट में पानी का निकास तथा फ्लोट पम्प द्वारा किया जाय तथा यह सुनिश्चित किया जाय कि बरसाती पानी बेसमेन्ट में एकत्र न होने पाये।
10. **नगर निगम इलाहाबाद** की अनापत्ति पत्रांक : डी/484/STCE/17 दिनांक 14.04.2017, **मुख्य अभियन्ता–विद्युत इलाहाबाद** की अनापत्ति पत्रांक : 8239/मु0अ0 (वि0)इ0क्षे0/पी–2(मानचित्र) दिनांक 16.6.2017, **उपनिदेशक अग्निशमन सेवा इलाहाबाद परिक्षेत्र इलाहाबाद की अनापत्ति पत्रांक** : 2016/27601/इला0/262/डीडी दिनांक 09.02. 2017, में अंकित प्रतिबन्धो का अक्षरशः अनुपालन बाध्यकारी होगा।

–2

49

11. प्रस्तुत मानचित्र बेसमेन्ट—।। में पार्किंग सर्विस/रेस्टोरेन्ट, बेसमेन्ट—। में दुकाने, पैसेज, भूतल रिसेप्सन लॉबी (होटल), दुकान, सर्विस अपार्टमेन्ट, मेजनाईन (होटल), प्रथम तल (होटल), टैरेस पर मम्टी+मशीन रूम के निर्माण की अनुमति हेतु है। तद्नुसार ही निर्माण कार्य सुनिश्चित किया जाय एवं नियमानुसार इ0वि0प्रा0 से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त कर अधिभोग/उपयोग किया जाय।
12. पार्किंग स्थल का उपयोग सदैव पार्किंग प्रयोजन हेतु ही किया जाय।
13. प्राधिकरण द्वारा भविष्य में यदि बढ़े विकास ब्यय अथवा अन्य कोई शुल्क की मॉग की जाती है तो वह शुल्क प्राधिकरण कोष में जमा करना होगा।
14. माननीय न्यायालय में कोई वाद होने अथवा उत्पन्न होने की स्थिति में प्रदत्त स्वीकृति माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन होगी। यह स्वीकृति भू—स्वामित्व का अधिकार प्रदान नही करती है। भू—स्वामित्व सम्बन्धी कोई भी विवाद सक्षम न्यायालय/प्राधिकारी द्वारा ही निस्तारित किया जा सकता है।
15. यदि आवेदक द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपायी गयी है अथवा गलत सूचना दी गयी है तो उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (9) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्त करने योग्य होगा।
16. मकान निर्माण से यदि नाली के सड़क की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मकान के आग्र भाग, पृष्ठ भाग अथवा उसके आकार के कारण ढक गई हो) को हानि पहुँचे तो गृहस्वामी तैयार हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शीघ्र कहा तो पहले ही उसे अपने खर्चे से मरम्मत कराकर पूर्ववत् अवस्था जिससे विकास प्राधिकरण को सन्तोष हो जाय, में कर देगा।
17. यह स्वीकृत पत्र केवल पाँच वर्ष की अवधि के लिए है।
18. गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 (इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1965) नियम 82 का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटवा सकता है।
19. आवेदक को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को मकान की नींव तक तथा छत तक बन जाने एवं उसके पूर्ण हो जाने की सूचना मकान आबाद होने से पूर्व देना होगा तथा उस आदमी का नाम भी देना होगा जिसके निरीक्षण में मकान निर्मित हुआ है।
20. यदि निर्माण में मास्टर प्लान का उल्लंघन होता पाया गया तो निर्माणकर्ता को दी गई स्वीकृति रद समझी जायेगी और किया गया निर्माण अनधिकृत घोषित कर उक्त अधिनियम की धारा 27 (1) के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

संलग्नक : उपर्युक्तानुसार।

(गुडाकेश शर्मा)
सचिव/अपर सचिव